

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 2क  
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की  
क्रम सं० 28  
समय 12-40 PM  
दिधि 24.4.2014

आर०308-22-परिचय पत्रकार  
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

## नामनिर्देशन-पत्र लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

### भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/माता/पति का नाम .....

..... उसका डाक पता .....

..... उसका नाम ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ..... में क्रम सं०

पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम ..... है जो ..... संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

..... में क्रम सं० ..... पर प्रविष्ट है ।

तारीख ..... (प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

### भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए .....<sup>02-परिचय पत्रकार</sup> संसदीय निर्वाचन  
क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम .....<sup>नफीस अहमद</sup>

पिता/माता/पति का नाम .....<sup>मेवाकत रसूल</sup>

उसका डाक पता .....<sup>वार्ड नं०-3, मोहम्मद-नोमियार, थाना-वेतिया नगर जिला-पश्चिम-बंगाल</sup>

उसका नाम .....<sup>02-पश्चिम-बंगाल</sup> संसदीय निर्वाचन क्षेत्र \*(में समाविष्ट .....<sup>05-वेतिया</sup> विधान  
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 07 में क्रम सं० 541 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम  
उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस  
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

**प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर**

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का नाम संख्यांक	उत्त भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	08-बेलगा, विधान सभा	7	291	संजय कुमार सिंह	संजय सिंह	24/4/14
2	08-बेलगा, विधान सभा	7	307	फिराज आलम	फिराज आलम	24/4/14
3	08-बेलगा, विधान सभा	7	69	मोहम्मद मोहम्मद आलम	मोहम्मद मोहम्मद आलम	24/4/14
4	08-बेलगा, विधान सभा	7	70	मो. मोहम्मद आलम	मो. मोहम्मद आलम	24/4/14
5	08-बेलगा, विधान सभा	7	83	नेपाल आलम	नेपाल आलम	24/4/14
6	08-बेलगा, विधान सभा	7	110	अबुसल्व हॉद	अबुसल्व हॉद	24/4/14
7	08-बेलगा, विधान सभा	7	540	नवाल चौधरी	नवाल चौधरी	24/4/14
8	08-बेलगा, विधान सभा	7	558	शंभु कुमार गुप्ता	शंभु कुमार गुप्ता	24/4/14
9	08-बेलगा, विधान सभा	7	509	मोहम्मद सलीम	Md. Saleem	24/4/14
10	08-बेलगा, विधान सभा	7	566	राजेश कुमार गुप्ता		24/4/14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

**भाग- 3**

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 42 (इयारस) वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें )

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन अर्हता के रूप में तब रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) 38-Flute (ii) 69-Saw (iii) 56-Letter Box है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम उम्मीद सुभाषी (भाषा वग नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।



(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू नहीं राज्य के उस राज्य में के लागू नहीं (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित लागू नहीं \*\*जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 24/4/14

Nafis Anam B.  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- 'मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल' से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1988 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

### भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-  
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या  
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/ नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है लागू नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं

जिला (जिले) लागू नहीं

राज्य लागू नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं

लागू नहीं

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) लागू नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं

- (vi) अधिसूचित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें .....  
 लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टता :- लागू नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- लागू नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है ..... लागू नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो  
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं  
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति ..... लागू नहीं

स्थान :- बीतेया

तारीख :- 24/4/14

Nafiz Ahmad  
 (अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

#### भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 28

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 24.4.2014 (तारीख) को 12:40 pm (बजे) \*अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 24.4.2014

निर्वाची (रिटनिंग आफिसर)  
 02-पब्लिक प्रभाग संप्रदाय निर्वाचन

\*जो शब्द लागू न हों उसे काट दीजिए ।

#### भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख .....

(रिटनिंग आफिसर)





GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION EXCISE & PROVISION DEPT.  
WEST CHAMPARAN SCORE BETTA

भारत

STAMP DUTY

00000

बिहार  
JUDICIAL

25697

COURT FEE

प्ररूप 26

Authorization No. 699



भारत

0000100

INDIA

Zero-Zero-Zero-Zero-00



AUTH (विशेष) एक देखिए  
Under Notaries Act & Rules  
207 G.P.C. / 20 G.P.C.

SHANKAR PRASAD  
NOTARY PUBLIC, BETTAM  
West Champaran

256  
24/11/14

02-परिचय-वस्यारण

निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अर्ज्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं नफीस अहमद पुत्र/पुत्री/पुत्री लेथानत हुसैन आयु 42 (क्यागिरी) वर्ष  
जो वाईन-7 मोहल्ला-नौनेयार, धाना-बेनेपा नगर, जिला-परिचय-वापारण

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अर्ज्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/  
कस्ती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कस्ती हूँ :-

(1) मैं स्वतंत्र (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अर्ज्यर्थी/एक स्वतंत्र अर्ज्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम एच.बेनेया निधान समा, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 07 के क्रम सं० 241 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष संख्या/संख्यामें है/हैं 9931452621  
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है नहीं है  
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं है

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पिन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रस्थिति :-

क्रम सं.	नाम	पिन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)
1.	स्वयं	AZYP8754H	नागू नहीं	नागू नहीं
2.	प्रति मा पत्नी <u>इंशरत-बाबुन</u>	CUSPK6205A	नागू नहीं	नागू नहीं
3.	आश्रित-1		नागू नहीं	
4.	आश्रित-2		नागू नहीं	
5.	आश्रित-3		नागू नहीं	



24-04-2014  
Aok Ew-100-1837/06

Nafies Ahmad



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नागूर नडी
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नागूर नडी
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नागूर नडी
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नागूर नडी
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नागूर नडी
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नागूर नडी

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	श्रीमती स्था-रानी, त्रे-सम प्रथम त्रेणी, एक्सप्रेस मोलेडारी, पूर्वी चम्पारण मामला संख्या 1143/2014 संज्ञान - 2010
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	आदर्श चुनाव आचार संहिता 177, 189
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं हैं

मैं किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत जाने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न रूप से सिद्ध दोष दृष्टगत्या मया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का इजाजत दिया गया है/नहीं दिया गया है।



यदि अभिसूची उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: **नहीं**

निम्नलिखित नामों में पुत्रे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<b>नागू नहीं</b>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	<b>नागू नहीं</b>
(ग)	अधिरोपित दंड	<b>नागू नहीं</b>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रास्थिति	<b>नागू नहीं</b>

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, बैंक, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति-या-पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	165000=00	45000=00	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	मुक्ति आर.ए.ए.ए. बैंक खाते-बचत बचत खाते 107-9392 राशी 5100=00 आवधिक जमा बैंक खाते-बी.ए.ए.ए. बचत खाते बचत खाते-बी.ए.ए.ए. राशी-65000=00	आवधिक जमा बैंक खाते-बचत 52225656599 राशी-8112200	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं



*Nafis Ahmad*



	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यारे और रकम	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	कुरबन प्रकषर बेनिमा द्वारा मेरगत - रक्षा 172500 = 00 6-सर्वोभिसप्रीम बकवत	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(vi)	मोटरयान/वायुयान/वाट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटरयान BR/24-0503 डिरो मोटो+200 48000 = 00	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (मार और मूल्य के ब्यारे)	नागूनही	सोना 20 gm 6000 = 00.00 चंदी 100 gm 4400 = 00.50 64400 = 00	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	मोर्तेया मॉबिलिटी 3000 = 00.50	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,93,500 = 00.00	117517 = 00.00	नागूनही	नागूनही	नागूनही

**आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे**

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्त्वया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	किसी विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही





	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
(ii)	गेर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपाटमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपाटमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	अज्ञात 6952	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	संख्या = 792				
		संख्या = 4 31-				



Nafis Ahmad.



क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1700 वर्ग फुट	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1700 वर्ग फुट	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
बया विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हैं	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
विकास, सनिर्माण आदि के पाध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
अनुमानित चालू बाजार नूल्य	10,1000 = 00	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार नूल्य	10,1000 = 00	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी	नागूनडी

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाष या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	सिटी बैंक भाक दुर्गा, बैलिया ठगरमथि ऋण 49000 = 00			नागूनडी	
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निकाष को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति				नागूनडी	
	कोई अन्य दायित्व	49000 = 00			नागूनडी	
	दायित्वों का कुल योग	49000 = 00			नागूनडी	
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य				नागूनडी	
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य				नागूनडी	
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले				नागूनडी	



विभाग को शोध					
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आय-कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं
धनकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
सेवाकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
नगरपालिका/संपत्ति शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विक्रयकर शोध	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य शोध	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं सर्वोदक एवं समाज सेवी  
(ख) पति या पत्नी शिक्षक

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

भैरवी विहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना  
वर्ष 1989

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

### भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु- <u>नफीसा अहमद</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>वाडिन-07 मोहल्ला-लोखिया, धाना-बेतिया नगर</u> <u>जिला-पश्चिम चम्पारण</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>08-बेतिया विधान सभा-बिहार</u> <u>02-पश्चिम चम्पारण लोक सभा</u>

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)		स्वतंत्र			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		नागू नहीं			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद् (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]		शुद्ध			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत त्रुटि उठराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]		शुद्ध			
7		_____ का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	112447541H	नागू नहीं	नागू नहीं		
	(ख) पति-श्री पत्नी	2458K6205A	नागू नहीं	नागू नहीं		
	(ग) आश्रित	_____	नागू नहीं	_____		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति-श्री पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1393500=00	11751700	_____	नागू नहीं	_____
ख	स्थायी आस्तियाँ					
	i	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नागू नहीं			
	ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नागू नहीं			
		कि	नागू नहीं			
	iii	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नागू नहीं			





	(क) स्वार्जित आस्तिया (कुल मूल्य)								
	(ख) विरासती आस्तिया (कुल मूल्य)	100000000							
9	दायित्व								
	i सरकारी शोध्य (कुल)								
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	49000000							
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है								
	i सरकारी शोध्य (कुल)								
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)								
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	मैट्रिक - बिहार विद्यालय परीक्षा समिति - परना वर्ष - 1989  (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)							

### सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24/4/14 को सत्यापित किया गया।

*Nafis Ahmad*  
अभिसाक्षी

- टिप्पण्यः 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण्यः 2. शपथपत्र पर कित्ती शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण्यः 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण्यः 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

*Nafis Ahmad*

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2009 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।  
 \* मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं 9931452621  
 मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है नहीं है  
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं है

